प्रशासन गाँवों के संग अभियान–2023
शिविर स्थल -- ग्राम पंचायत सतजण्डा

मनीराम आदि बनाम सरकार आदि
अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट, 125,136 एल.आर.ए.
प्र.सं. 03/2023 जीसीएमएस आईडी : 2023/5

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी किए
09.06.2023	आज यह पत्रावली प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प ग्राम पंचायत सतजण्डा में पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष प्रकरण में दुरूस्ती आदेश पारित करने के लिए निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत कर चक 57 एनपी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 85 प.नं. 210/342 मु.नं. 19 के कि.नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23/1 की कुल 3.162है. नहरी भूमि वादीगण के दादा रावता वल्द पुरखा के नाम से खातेदारी थी, जो कि जमाबंदी संवत 2033 व उसके पश्चात के राजस्व अभिलेखों व जमाबंदीयों में हुई गलती को दुरूस्त करते हुए विवादित रकबा गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करने के आदेश पारित करने हेतु निवेदन किया । प्रकरण में प्रतिवादी सं. 3 व 4 की ओर से जवाब दावा सहमति का पेश हुआ हैं। प्रकरण में तहसीलदार रायसिंहनगर से जांच रिपोर्ट तलब की गयी। तहसीलदार रायसिंहनगर की रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./2023/1193 दिनांक 23.02.2023 के अनुसार चक 57 एनपी के खाता सं. 85 प.नं. 210/342 मु.नं. 19 कि.नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23/1 की कुल 3.162है. नहरी रकबा जमाबंदी संवत 20742077 कमला देवी पुत्री जगमालराम, तुलसी पत्नी जगमालराम, पुष्पा देवी पुत्री जगमालराम, मनीराम पुत्र जगमालराम, श्योपतराम पुत्र जगमालराम जाति मेघवाल बहिब गैर खातेदार रिकार्ड दर्ज हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी संवत 2028–2031 खाता सं. 20 में मु.नं. 19 के कि.नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23/1 की कुल 3.162है. नहरी रावत वल्द पुरखा कौम मेघवाल सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। खसरा पत्रक संवत 2033 चक 57 एनपी प.नं. 210/342 मु.नं. 19 कि.नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23/1 रकबा के कॉलम सं. 22 में रावत वल्द पुरखा कौम मेघवाल सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है जबकि कॉलम सं. 23 में जगमाल वल्द रावत कौम मेघवाल सा. देह गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। मिसल बंदोबस्त चक 57 एनपी के खाता सं. 42 प.नं. 210/342 मु.नं. 19 कि.नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23/1 की कुल 3.162है. नहरी जगमालराम वल्द रावत कौम मेघवंशी सा. देह गैर खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा रायसिंहनगर मूर्तहीन दर्ज रिकार्ड हैं। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण धारा 88 आरटीएक्ट के तहत किसी प्रकार की घोषणा का अनुतोष से संबंधित न होकर मात्र रिकार्ड दुरूस्ती से संबंधित हैं। अतः प्रकरण 136 एलआरएक्ट की हद तक विचारण योग्य हैं। तहसीलदार रायसिंहनगर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं संलग्न राजस्व दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। पूर्व में भूमि जमाबंदी संवत 2028–2031 में भूमि रावत वल्द पुरखा के नाम से खातेदार दर्ज रिकार्ड थी। खसरा पत्रक संवत 2033 में भूमि रावत से जगमाल के नाम से अन्तरित करते समय खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज हुई जो उसके पश्चात के सभी दस्तावेजों वर्तमान रिकार्ड में भी गैर खातेदार हैं। जिसको दरूस्त करवा कर वा[illegible] के स्थान पर खातेदार अंकन करवाना चाहते हैं। तहसीलदार [illegible] द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार [illegible] उचित हैं। अतः उक्त विवेचन एवं रिपोर्ट तहसीलदार [illegible] के आधार पर वाद पत्र 136 एलआरएक्ट की हद [illegible] जाता है तथा राजस्व रिकार्ड चक चक 57 एनपी तहसील रायसिंहनगर के खाता सं. 8[illegible] 210/342 मु.नं. 19 के कि.नं. 3 ता 8, 13 ता 18, 23/1 की कुल 3.162है. नहरी गैर खातेदार के अंकन को दुरूस्त कर के स्थान पर खातेदार दर्ज करने के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन यथावत रहेगा। आदेश की प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। आदेश सुनाया गया। पत्रावली फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफ्तरं हो। (जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर) [illegible] अधिकारी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Date: 2023.06.27 11:10:06 IST
Reason: SelfAttested